"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 169] रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 अप्रैल 2013—वैशाख 7, शक 1935

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 04-39/2005/20-3.—छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 28 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन की स्वीकृति एवं प्रस्तावित संशोधन के पूर्व प्रकाशन पश्चात् छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल विनियम 1965 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त विनियम में,—

1. विनियम 119 के उप विनियम (1), (2) तथा (3) के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

(1) विनियम 119 (1) के अंतर्गत परीक्षाफल घोषित दिनांक से 15 दिवस के अंदर पुनर्गणना (अंकों का सत्यापन)/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन/पुनर्मूल्यांकन हेतु इस तीनों प्रक्रिया के लिए अथवा किन्हीं दो प्रक्रिया के लिए अथवा किन्हीं एक प्रक्रिया के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित फीस के आवेदन प्रस्तुत कर सकता है.

(2) विनियम 119 (1) के पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन/पुनर्मूल्यांकन हेतु एक साथ आवेदन कर सकता है. उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन उपरांत पुनर्मूल्यांकन हेतु पृथक से 15 दिवस का समय नहीं दिया जावेगा.

(3) विनियम 119 (3) पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन/पुनर्मूल्यांकन हेतु ली गई शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं की जावेगी. ऊपर वर्णित परिस्थितियों के अतिरिक्त कोई भी छात्र अपने उत्तर/उत्तरों की पुन: जांच करवाने के लिये या उत्तरपुस्तिकाओं या अन्य दस्तावेजों जिन्हें मण्डल द्वारा अति गोपनीय समझा जाता हो, के प्रकटीकरण या निरीक्षण के लिये न दावा करेगा और न ही हकदार होगा. छात्र के यथापूर्व में घोषित परीक्षाफल में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो उसे मण्डल की वेब साईट www.cgbse.net पर एवं छात्र द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर SMS के माध्यम से सूचना दी जायेगी.

2. विनियम 148 के उप विनियम (1), (2) तथा (3) के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

(1) विनियम 148 (1) के अंतर्गत परीक्षाफल घोषित दिनांक से 15 दिवस के अंदर पुनर्गणना (अंकों का सत्यापन)/ उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन/पुनर्मूल्यांकन हेतु इस तीनों प्रक्रिया के लिए अथवा किन्हीं दो प्रक्रिया के लिए अथवा किन्हीं एक प्रक्रिया के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित फीस के आवेदन प्रस्तुत कर सकता है.

(2) विनियम 148 (1) के पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन/पुनर्मूल्यांकन हेतु एक साथ आवेदन कर सकता है. उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन उपरांत पुनर्मूल्यांकन हेतु पृथक से 15 दिवस का समय नहीं दिया जावेगा.

(3) विनियम 148 (3) पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन/पुनर्मूल्यांकन हेतु ली गई शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं की जावेगी. ऊपर वर्णित परिस्थितियों के अतिरिक्त कोई भी छात्र अपने उत्तर/उत्तरों की पुन: जांच करवाने के लिये या उत्तरपुस्तिकाओं या अन्य दस्तावेजों जिन्हें मण्डल द्वारा अति गोपनीय समझा जाता हो, के प्रकटीकरण या निरीक्षण के लिये न दावा करेगा और न ही हकदार होगा. छात्र के यथापूर्व में घोषित परीक्षाफल में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो उसे मण्डल की वेब साईट www.cgbse.net पर एवं छात्र द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर SMS के माध्यम से सूचना दी जावेगी.

Naya Raipur, the 27th April 2013

NOTIFICATION

No. F 04-39/2005/20-3.—In exercise of the power conferred by sub section (3) of section 28 of the Chhattisgarh Madhyamik Shiksha Adhiniyam, 1965 (No. 23 of 1965) with the previous sanction of the State Government and prior Publication of proposed amendment. the Board of Secondary Education Chhattisgarh hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Board of Secondary Education Regulation 1965.

AMENDMENT

In the said regulation,—

1. For sub-regulation (1), (2) and (3) of regulation 119, following sub-regulation shall be substituted, namely :—

(1) Under regulation 119 (1), from the date of result declaration, within the time period of 15 days, (Retottling) i.e. Verification of marks/observation of Photocopy of answer copy/Revaluation Process, out of three or any two or any one process on Prescribed form by the Board along with prescribed fee.

(2) Under regulation 119 (1), at length, candidate can apply for retottling/observation of Photocopy of answar copy/Revaluation but no extra, 15 days time will be given after observation of Photocopy of answer copy.

(3) Under regulation 119 (3), fee taken for retottling/observation of Photocopy of answer copy/Revaluation will be non-refundable in any condition or case whatsoever may be.

Apart from, conditions, explained above, no examinee shall claim or entitled to re-examination of his/her answer/answers or answer copy or disclosure or inspection of answer copy/copies or other documents treated by the Board as most confidential.

As the result declared earlier, if any alteranation or change comes in the result of examinee, will be informed through the medium of Baord's website www.cgbse.net and on the mobile number given by the candidate through SMS.

2. For sub-regulation (1), (2) and (3) of regulation 148, following sub-regulation shall be substituted, namely :—

(1) Under regulation 148 (1), from the date of result declaration, within the time period of 15 days, (Retottling) i.e. Verification of marks/observation of Photocopy of answer copy/Revaluation Process, out of three or any two or any one process on Prescribed form by the Board along with prescribed fee.

(2) Under regulation 148 (2), at length, candidate can apply for retottling/observation of Photocopy of answar copy/Revaluation but no extra, 15 days time will be given after observation of Photocopy of answer copy.

(3) Under regulation 148 (3), fee taken for retottling/observation of Photocopy of answer copy/Revaluation will be non-refundable in any condition or case whatsoever may be.

Apart from, conditions, explained above, no examinee shall claim or entitled to re-examination of his/her answer/answers or answer copy or disclosure or inspection of answer copy/copies or other documents treated by the Board as most confidential.

As the result declared earlier, if any alteranation or change comes in the result of examinee, will be informed through the medium of Baord's website www.cgbse.net and on the mobile number given by the candidate through SMS.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शाण्डिल्य, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.